Communication from Former Chief Justice of Madras High Court

5884. SHRI P. THIAGARAJAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a communication from the former Chief Justice of Madras High Court was sent through the Minister of Energy; and

(b) if so, the nature of the communication and action taken thereon?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Yes, Sir.

(b) A former Chief Justice of Madras High Court wrote to the Union Minister for Energy, enclosing a copy of his memorandum to the Prime Minister and requested that the same may be given due consideration. In his memorandum, the former Chief Justice had alleged that the investigations undertaken by the CBI against him were politically motivated and that the order sanctioning only provisional pension was not according to law. He had requested that these matters may be expeditiously dealt with. The matter is being examined.

संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान के निदेशक की नियुक्ति

5885. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान के निदेशक के पद की नियुक्ति बिना किसी विज्ञापन के और आवेदन-पत्र आमंत्रित किये बगैर और इंटरव्यू के बिना की गई थी;

(ख) संवैधानिक तथा संसदीय क्षेत्र में नियुक्त किये गये निदेशक की विशेष अर्हताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) :(क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान पदधारी की अर्हताएं निम्नलिखित हैं :—

कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम० ए० (वाणिज्य) (विश्वविद्यालय के योग्यता क्रम में प्रथम स्थान), एम० ए० (अर्थशास्त्र) और एल० एल० बी० (विश्वविद्यालय के योग्यता क्रम में प्रथम स्थान) तथा डब्लिन विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० । संस्थान में अपनी आरम्भिक नियुक्ति के समय वह जांच आयोग, उड़ीसा, सरकार के सचिव के पद पर कार्य कर रहा था ।

(ग) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान के निदेशक के पद पर भर्ती, भर्ती के नियमों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा भी की जा सकती है । निदेशक के पद का वर्तमान पदधारी सितम्बर, 1971 से संस्थान के उप-निदेशक के रूप में कार्य कर रहा था और भूतपूर्व निदेशक के अपने मूल पद पर वापस चले जाने के बाद से वह 31 अगस्त, 1973 से निदेशक के कार्य भी देख रहा था । इसलिए भर्ती नियमों के अनुसार उसकी प्रोन्नति संस्थापन के निदेशक के रूप में 1 अप्रैल, 1976 से की गई ।

College at Mughalsarai

5886. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how was the establishment of a college at Mughalsarai justified;

(b) whether the Railway Minister's attention has been drawn to article in Ananda Bazar Patrika dated 13-5-1977;